मोहनलाल बनाम सुमित्रा आदि
प्रकरण सं. 190/2023 अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
03/4/2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 की खुद की खरीदशुद्धा भूमि है। प्रतिवादिया की खुद की खरीदशुद्धा भूमि होने के कारण प्रार्थीया के जीवनकाल मे मेरे किसी भी वारीसान द्वारा मेरी कय की हुई भूमि मे हको की घोषणा एवं उक्त भूमि मे हक व हिस्सा होने का दावा किसी भी न्यायालय मे प्रस्तुत नही किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के प्रावधानो के तहत एक हिन्दु स्त्री के नाम दर्ज सम्पति जो उसकी स्वंय की खरीदशुद्धा भूमि हो चाहे उसे जरिये विरास्तन एवं जरिये दानपत्र प्राप्त हुई हो वह उसकी पूर्ण स्वामीनी मानी जायेगी एंव हिन्दु स्त्री के जीवनकाल मे उसके पुत्र पुत्री या अन्य कोई वारीसान हिन्दु स्त्री के नाम दर्ज सम्पति मे किसी भी प्रकार के हक व हिस्सा की घोषणा एवं अपना शेयर होने का दावा भारत वर्ष के किसी भी न्यायालय मे प्रस्तुत नही कर सकता हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विधि द्वारा स्थापित नियमो एवं सिद्धान्तो के विपरित होने के कारण भी किसी भी सुरत मे चलने योग्य नही है। अतः वाद वादी खारिज किया जावे। दूसरी तरफ वकील अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीया की स्वयं पैदाकर्ता सम्पति ना होकर स्व0 सन्तराम द्वारा बैनामी रूप से खरीदशुदा थी। बैनाम रूप से खरीद सम्पति पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम लागू नहीं होते है विवादित भूमि प्रतिवादीया की स्वयं की खरीदशुदा थी या स्व. सन्तराम द्वारा बैनामी तौर पर खरीद की थी यह साक्ष्य की विषयवस्तु है जो विवाधक तय कर ही निर्णित किया जाना है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीया/प्रतिवादीया खारिज किया जावे। वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीया सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा उक्त भूमि प्रतिवादीया के नाम जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा प्राप्त हुई है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 14 के तहत हिन्दू स्त्री के नाम दर्ज सम्पति उसकी स्वअर्जित सम्पति मानी जाती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी मौजुदा स्थिति में खारिज किया जाता है। खर्चा फरिकैन अपना अपना वहन करेंगें। आदेश आज दिनांक 03/4/2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.04.29 13:32:13 IST
Reason: SelfAttested